



## **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार**



सुहर्ष भगत, भा०प्र०स०  
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं.: SHSB/GA/HR/8173/2024/ 1409

पटना, दिनांक: १८/०६/२०२५

—आदेश—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) अन्तर्गत विज्ञापन संख्या-04 / 2025 के तहत स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने हेतु जनहित में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में **MEDICAL OFFICER (NTEP)** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय Rs. 65,000/- (पैसठ हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पर उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-4 में अंकित स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	Application No.	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन स्वास्थ्य संस्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MEOF2777	DR. JYOTIKA RANI	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (PMCH), पटना
2.	MEOF7573	DR. NIKITA SHARMA	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (NMCH), पटना
3.	MEOF1519	DR. SUPRIYA	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना
4.	MEOF5318	DR. ABHISHEK KUMAR	भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (BMIMS), पावापुरी, नालन्दा
5.	MEOF6286	DR. SHRITI RAJ	जननायक कर्पुरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (JKTMCH), मधेपुरा
6.	MEOF6108	DR. AMIT RANJAN PATEL	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (SKMCH), मुजफ्फरपुर
7.	MEOF5400	DR. GARIMA ANAND	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (JLNMC), भागलपुर
8.	MEOF7049	DR. RITIKA RAJ	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (ANMMCH), गयाजी
9.	MEOF8428	DR. RAVIRANJAN KUMAR	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (GMCH), बेतिया, परिचम चम्पारण

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- i. **दिनांक 30 जून, 2025** तक उक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित पदस्थापन जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के स्तर से Health Professional Registration (HPR) ID generate कर मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत BHAVYA user ID create कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
  - ii. योगदान के पश्चात् बॉण्ड एवं एकरारनामा के लिए Rs. 1,000-1,000/- का 02 (दो) Non Judicial स्टांप पेपर, पासपोर्ट आकार का 02 (दो) रंगीन फोटोग्राफ, NoC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, **दिनांक 04 जुलाई, 2025** तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
  - iii. यदि सरकारी सेवा में हो या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हो अथवा अनुबंध पर कार्यरत हो, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MBBS डिग्रीधारी हैं, किन्तु उक्त उपाधि का निबंधन MCI/NMC/BCMR में नहीं करा पाए हों, उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन योगदान की तिथि से 01 (एक) माह के भीतर उक्त उपाधि का निबंधन MCI/NMC/BCMR में कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रामाणित प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्राह) माह के लिए किया जाएगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन MEDICAL OFFICER (NTEP) के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-HSS.9 (S. No. 185.1) के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।


3. सभी सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के e-mail ID: [shsbhrcell@yahoo.com](mailto:shsbhrcell@yahoo.com) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 02 पृष्ठ है।

ह०/-  
(सुहर्ष भगत)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/8173/2024/...14.09 पटना, दिनांक: 18/06/2025

- प्रतिलिपि:** अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जि.स्वा.समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/निदेशक, आयुर्विज्ञान संस्थान/सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जि.स्वा.समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी—सह—प्रभारी, मा.सं./अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यरूप पदाधिकारी, NTEP/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, रा.स्वा.समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट—सह—डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट [shs.bihar.gov.in](http://shs.bihar.gov.in) पर देखा एवं डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

  
कार्यपालक निदेशक  
18/06/23